

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर

पत्रांक 3954/14-1 दिनांक, कानपुर, जून 21 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल कानपुर

विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं०- 91 पर जनपद कानपुर के किमी० 356.000 से किमी० 414.000 तक मार्ग को फोर लेन बनाने हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

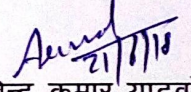
सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०६/२४/२०१८/एफ०सी १८३ दिनांक १३.०६.२०१८ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या- ५२६९/कानपुर/२६८९०/२०१७ दिनांक १८.०६.२०१८।

महोदय,

भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में दिनांक ०८.०६.२०१८ को क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में पायी गयी त्रुटि भूमि आगणन शीट को संशोधित कराकर हस्ताक्षरित कर तीन प्रतियां संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

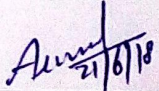
संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक _____/समदिनांकित

प्रतिलिपि- परियोजना प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी०आई०यू० अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर